न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 338 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 05.11.2015

हरिसिंह पिता भारत विजय सिंह जाति राजपूत निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. भुपतसिंह पिता भारत विजय सिंह जाति राजपूत निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. रघुराजसिंह पिता भारत विजय सिंह जाति राजपूत निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
3. मंगलसिंह पिता भारत विजय सिंह जाति राजपूत निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
4. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 34/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015

उपस्थित–
1. भारत भूषण –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. शांतिलाल बसेर–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रतनलाल जाट – रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 4

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पुठोली तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 449, 432/1, 792, 1225/2409, 1286 मीन 1337/2414, 1375/2403, 1943, 2401/2592 कुल किता 9 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर उक्त कृषि आराजीयात गुमान कंवर की मृत्यु के पश्चात् गुमान कंवर के बजाय नामान्तकरण सं. 1372 दिनांक 09.03.2008 के द्वारा खातेदार गुमान कंवर के स्थान पर चारो भाईयो का नाम विरासत से अंकित हुआ है। खातेदार गुमान कंवर ने अपने जीते जी एक वसीयतनामा निष्पादित कर उनकी जो भी चल व अचल सम्पत्ति थी वो सारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

व अचल सम्पत्ति अपीलान्ट वादी को वसीयत की व अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का स्वामी को घोषित कर दिया। गुमान कंवर के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के रूप मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का नाम अंकित हुआ है व अवैध है। वसीयतनामे के आधार पर गुमान कंवर के हिस्से की जो सम्पत्ति है उसका भी उत्तराधिकारी अपीलान्ट वादी है व गुमान कंवर के हिस्से का अधिकारी है। इसलिये वादपत्र घोषणात्मक डिक्री व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। गुमान कंवर की विरासत जरिये वसीयतनामा अपने नाम घोषित करा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाये जाने की दाद चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की तामील होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अपीलान्ट वादी ने जिस वसीयतनामे के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त वसीयतनामा बनावटी व फर्जी होकर गुमान कंवर की मृत्यु के बाद तैयार की गई है। विवादित कृषि आराजीयात गुमान कंवर की स्वअर्जित नही होकर पुश्तैनी कृषि आराजीयात है जिसको खातेदार स्वर्गीय गुमान कंवर को वसीयत करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावे के अनुसार पत्रावली मे दिनांक 06.03.2013 को तनकियात कायम की गई। उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उक्त पत्रावली साक्ष्य मे विचाराधीन थी। साक्ष्य मे विचाराधीन होते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पुठोली मे नियत की गई। कैम्प कोर्ट मे उभपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पुश्तैनी आराजीयात के सम्बन्ध मे गुमान कंवर के द्वारा जो वसीयतनामा निष्पादित किया गया है उक्त वसीयतनाता निष्पादित करने का अधिकार नही होना मानते हुए व राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट वादी की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जिसके लिये अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद ली जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र मे यह निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात मे गुमान कंवर सहखातेदार दर्ज रही है। गुमान कंवर ने अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट वादी के पक्ष मे सम्पूर्ण हक व हिस्से का वसीयतनामा निष्पादित कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गुमान कंवर द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के अनुसार अपीलान्ट वादी घोषणा कराने व उसी अनुसार बंटवाडा कराने का अधिकारी था। उक्त पत्रावली साक्ष्य वादी मे विचाराधीन होते हुए राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर वादपत्र को क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुरूप नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध बनावटी व फर्जी वसीयतनामे के अनुसार मिथ्या वादपत्र प्रस्तुत किया है। विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादी व गुमान कंवर की पैतृक कृषि आराजीयात है। विवादित आराजीयात गुमान कंवर की स्वअर्जित होने से गुमान कंवर को अपीलान्ट वादी के पक्ष मे किसी प्रकार की वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नही था। बिना अधिकार के पैतृक कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्ट वादी ने गुमान कंवर की वृद्धावस्था का दुरूपयोग कर वसीयतनामा निष्पादित किया है। जिसे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर खारीज योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व वसीयतनामे का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने पैतृक कृषि आराजीयात जो राजस्व जमाबन्दी मे अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व मृतक गुमान कंवर जो अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण के पैतृक कृषि आराजीयात होकर गुमान कंवर की मृत्यु के पश्चात् गुमान कंवर के वारिस अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण सं. 1372 दिनांक 09.03.2008 से दर्ज हुई है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मे विचाराधीन रहते हुए दिनांक 15.07.2015 को बिना सूचना पत्र के लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना पक्षकारान की आपत्ति के वसीयत के आधार पर कृषि आराजीयात के खातेदारी की घोषणा के वादपत्र को क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण सं. 34/2010 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजरसे नव निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 25.08.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ